भारत पाँच रुपये 5 रु. COURT FEE INDIA Rs.5 FIVE RUPEES

(92)

न्यायालय ~~आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन~~ राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /14–15 निगरानी निगरानी 1012-II-15

1. बिहारीलाल आत्मज मून्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी–ग्राम तनोड़िया तहसील व जिला आगर
2. शैलेन्द्र आत्मज आनन्दीलाल
3. दिनेश आत्मज आनन्दीलाल
4. देवेन्द्र आत्मज आनन्दीलाल
5. श्रीमति कमलाबाई पति आनन्दीलाल निवासी ग्राम तनोड़िया तहसील व जिला आगर (म.प्र.)

----आवेदकगण

विरूद्ध

1. मदनलाल जैन पिता पुनमचनद्र
2. ताराचन्द मृत बजाय उत्तराधिकारी
1. कमल पिता ताराचन्द
2. संतोष पिता ताराचन्द
3. प्रकाश पिता ताराचन्द
4. लक्ष्मीदेवी पुत्री ताराचन्द

निवासीगण ग्राम तनोड़िया तहसील व जिला आगर (म.प्र.)

----अनावेदकगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री ... द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 16-4-15
अधीक्षक 16.4.15
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

5/0 16/4/15

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा ५० भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय आगर मालवा के प्रकरण क्रमांक 74/14–15 में पारित आदेश दिनांक 19/03/2015 से असंतुष्ट होकर एक पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन धारा 107 भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि प्रार्थीगण की स्वत्व की आराजी सर्वे नं. 2261 एवं सर्वे नम्बर 2262 थी।

R 1012-II/15 सागर

२०-1-17 उज्जैन कैंप Not press	आवेदक अधिवक्ता सुश्री किरण जुनेजा उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार। प्रकरण आवेदकपक्ष द्वारा नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष